

-: नीलामी सूचना एवं शर्त :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस लाइन, गाजीपुर में स्थित निम्न निष्प्रयोज्य उपकरणों की नीलामी "जहाँ है, जैसी स्थिति में है" की जायेगी।

क्र.	उपकरण का नाम	क्रय वर्ष	क्रय की दर (रु.)	संख्या	कुल क्रय मूल्य (रु.)
1.	HCL Desktop Computer	2011	21,779 .00	147	32,01,513.00
2.	HP 1522 PRINTER	2011	11,744.00	032	3,75,808.00
3.	HP 2055N PRINTER	2011	9,843.00	023	2,26,389.00
4.	2 KVA UNILINE UPS	2011	70,720.00	041	2,89,950.00
5.	Samsung SCX 4728 Printer	2013	14,015.00	045	6,30,675.00
6.	500 VA UNILINE UPS	2013	4,452.00	116	5,16,432.00
			योग	404	78,50,337.00

नीलामी की शर्तें निम्नवत प्रकार होगी:-

1. उपरोक्त उपकरणों की नीलामी पुलिस लाइन, गाजीपुर में दिनांक 25/01/2023 समय 11:00 बजे किया जायेगा।
2. कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस के क्रय-विक्रय के पंजीकृत फर्म या उपरोक्त उपकरणों के नीलामी में प्रतिभाग के लिए पात्रता रखते हो ऐसे इच्छुक बोलीदाता प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. नीलामी के पूर्व इच्छुक बोलीदाता द्वारा जमानत की धनराशि के रूप में रु. 25000.00/- कमेटी के सदस्यों के समक्ष जमा करना होगा।
4. इच्छुक बोलीदाता उपकरणों का निरीक्षण कार्यालय दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जी० पी० स्टोर, पुलिस लाइन, गाजीपुर में आकर कर सकेंगे।
5. सफल बोलीदाता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय आयकर एवं जीएसटी का भुगतान उसी दिन करना होगा।
6. सामान को स्वयं के खर्चे पर उठवाकर ले जाने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
7. नीलामी के समय व्यवधान होने पर पुलिस अधीक्षक को नीलामी या किसी भी बोली को निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।
8. नीलामी में भाग लेने वाले सभी को कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा।

पत्र संख्या: न 27/2022

दिनांक: 30/12/2022


पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर।

प्रतिलिपि:-समस्त जोन / परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें।

1. समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक पीएससी उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रेडियो / क्यूमेल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।